

## प्राक्कथन

मार्च 2022 को समाप्त हुई अवधि के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। इस प्रतिवेदन में चार अध्याय हैं। इस प्रतिवेदन के अध्याय 1, 2 और 3 भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाते हैं जबकि अध्याय 4 को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (ए) के अंतर्गत राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत किया जाता है।

इस प्रतिवेदन के **अध्याय-1** में कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सरकारी विभागों, कंपनियों/सांविधिक निगमों एवं अन्य संस्थाओं के बारे में परिचय एवं सामान्य जानकारी दी गई है।

इस प्रतिवेदन का **अध्याय-2** नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के अंतर्गत सरकारी विभागों द्वारा किए गए व्यय की लेखापरीक्षा से संबंधित है। इस अध्याय में मार्च 2022 को समाप्त हुई अवधि के लिए उत्तराखण्ड सरकार के विभागों/स्वायत्त निकायों के अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन के **अध्याय-3** में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के तहत राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख राजस्व अर्जित करने वाले विभागों की प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन का **अध्याय-4** सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की लेखापरीक्षा से संबंधित है। सरकारी कंपनियों (इन कंपनियों में वह कंपनियाँ भी सम्मिलित हैं, जिन्हें कंपनी अधिनियम के अनुसार सरकारी कंपनी माना गया है) के लेखाओं की लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धाराओं 139 एवं 143 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा संपादित की जाती है एवं सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधानों के साथ ही नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के अंतर्गत संपादित की जाती है।

इस प्रतिवेदन में वे दृष्टांत उल्लिखित हैं जो वर्ष 2021-22 के दौरान नमूना लेखापरीक्षा की प्रक्रिया में संज्ञान में आए, साथ ही साथ वे प्रकरण भी उल्लिखित हैं, जो पूर्व के वर्षों में संज्ञान में आए थे परंतु पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किए जा सके। वर्ष 2021-22 की आगामी अवधि से संबंधित दृष्टांतों को, जहाँ कहीं भी संबंधित एवं आवश्यक हुए, सम्मिलित किए गए हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा का सम्पादन किया गया है।

